

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-360) अलेसे- I/ 4317

दिनांक:- 22-07-2024

आदेश

श्री बाबूलाल धोबी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिंग नं0 4464) कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोंक ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री बाबूलाल धोबी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिंग नं0 4464) का नाम परिवर्तित कर "बाबूलाल धोबी" के स्थान पर "बाबूलाल वर्मा" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-360) अलेसे- I/ 4318-22 दिनांक:- 22-07-2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोंक।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री बाबूलाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोंक।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/ गार्ड फाइल।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
8356292



Signature valid

Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur

Designation: Director

Date: 2024.07.18 12:16:52 IST

Reason: Approved